भोजल- पटेरा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

किंग्स एण्ड क्वीन्स इंटरनेशनल स्कूल,
पदुमनगर, भिलाई-03

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

सत्र- 05/10/18 से 04/10/2021

Principal
Kings & Queens International School
Padum Nagar, Bhilai-3

Manager
Kings & Queens International School
Padum Nagar, Bhilai (C.G.)

88 - 2322345 प्रारूप - दो फैक्स नं. 0788-2211

-----कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग)------

क्रमांक / 875 — / मान्यता / 2018-19
प्रति,

दुर्ग, दिनांक 09-01-2019

प्रबंधक, अरिहंत जैना समिति,
बाजार चौक, भिलाई-01

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अनिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख...... — ...... के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं किंग्स एंड क्वीन्स इंटरनेशनल स्कूल (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 05|10|18 से 04|10|21 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी... से ...08वीं... तक माध्यम...अंग्रेजी... के लिए ~~अंतिम~~ अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के..25%...... प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेग और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा। परंतु यह और भी के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जावेगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः-

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जावेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नही किया जायेगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(पांच) अधिनियम के उपबंधो ''च'' के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

Principal
Kings & Queens International School
Bhilai-3

Manager
Kings & Queens International School
Padum Nagar, Bhilai (C.G.)

ध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्युन अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है। 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेगें।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिश्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगें। और

(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ....02 एकड़....

कुल निर्मित का क्षेत्रफल ....20500 वर्गफुट....

खेल के मैदान का क्षेत्रफल ....21000 [illegible]....

कक्षाओं की संख्या ....17 कमरे 01 हाल....

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष ....05....

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय....06 + 06....

पेयजल सुविधा ....नलकूप....

मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई ....—....

बाधारहित पहुंच....[illegible]....

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद के उपस्करो/ पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयत्तिक, वैयत्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउटेन्ड द्वारा समपरीक्षा कर ली जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित कोड संख्यांक ....104/205/08.... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें ।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और प्रस्तुत सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाएं ।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

Principal
Kings & Queens International School
Padum Nagar, Bhilai-3

Manager
Kings & Queens International School
Padum Nagar, Bhilai (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग

चलो चलाएँ

शिक्षा गुणवत्ता अभियान

और बढ़ाएँ

हम अपना सम्मान

Principal
Kings & Queens International School
Padum Nagar, Bhilai-3

Manager
Kings & Queens International School
Padum Nagar, Bhilai (C.G.)